मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 11 /10/2019

क्रमांक 1642/2868/2019/38/1:: सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक ई-1/350/2008/5/एक, दिनांक 8/9 नवम्बर, 2008 द्वारा शासकीय सेवकों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों से की जाने वाली विदेश यात्रा के लिए सक्षम स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये है।

परिपत्र की कंडिका 6 में निजी प्रयोजन से विदेश यात्रा की अनापति शासकीय सेवक के पैतृक विभाग द्वारा जारी किए जाने के निर्देश है। उपरोक्त निर्देशों के क्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत शासकीय सेवकों को निजी कारणों से विदेश यात्रा करने की अनापति जारी किए जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करता है :-

1. शासकीय सेवक द्वारा निजी प्रयोजन हेतु विदेश यात्रा की अनापति हेतु आवेदन समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित अपने कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जावेगा। कार्यालय प्रमुख द्वारा अनुशंसा सहित आवेदन समक्ष अधिकारी को प्रेषित किया जावेगा।
2. 30 दिवस तक की विदेश यात्रा हेतु अनापति, अर्जित अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेगी।
3. 30 दिवस से अधिक की विदेश यात्रा की अनुमति आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा जारी की जावेगी।
4. शेष सभी मामलों में अनापति परिपत्र में उल्लेखित नियमों के अनुसार ही जारी की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
10/10/19
(संजीव कुमार ...)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 1643/2868/2019/38/1::

भोपाल, दिनांक 11/10/19 ~~/09/2019~~

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,

Scanned with CamScanner